भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3872**

16.03.2026 को उत्तर के लिए

**निधियों का कम उपयोग**

**3872. श्री सुरेश कुमार शेटकर:**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत शहरी वनीकरण के लिए आवंटित निधियों का अल्प उपयोग किया जाता है, यदि हां, तो उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है और उक्त निधियों के कम उपयोग के क्या कारण हैं;

(ख) क्या वृक्षारोपण संबंधी घोषणाओं के अलावा लगाए गए पौधों के जीवित होने की जांच करने के लिए कोई निगरानी तंत्र मौजूद है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अतिक्रमण और भूमि के अवैध उपयोग के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरित क्षेत्रों में कमी आई है, यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रवर्तन कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या जलवायु अनुकूल और गर्मी को कम करने की कार्यनीतियों में शहरी वनों का निर्माण अनिवार्य रूप से शामिल है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केवल आपातकालीन प्रतिबंधों पर केन्द्रित प्रदूषण नियंत्रण उपाय, दीर्घकालिक पारिस्थितिकीय योजना के बिना विफल हो गए हैं और यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) क्या अन्य महानगरों में भी इसी प्रकार के हरित आवरण संकट मौजूद हैं, यदि हां, तो किए गए आकलन का शहर-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री**

**(श्री कीर्तवर्धन सिंह)**

(क) और (ख): नगर वन योजना (एनवीवाई) को हरित आवरण और जैव विविधता को बढ़ाने तथा शहरी निवासियों को मनोरंजन स्थल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगर निगमों, नगर परिषदों, नगरपालिकाओं या अन्य शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) वाले शहरों में नगर वन और नगर वाटिका बनाकर शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वनीकरण करने के लिए शुरू किया गया था। यह योजना राज्य वन विभागों द्वारा राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (राष्ट्रीय काम्पा) की वित्तीय सहायता से कार्यान्वित की जाती है। योजना के अंतर्गत जारी की गई निधियों का विवरण **अनुलगनक-I** में दिया गया है।

वृक्षारोपण की निगरानी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र निरीक्षण और अंतर-सर्किल सत्यापन, भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट, भू-टैग वाली तस्वीरें और केएमएल/फाइलें प्रस्तुत करने और तृतीय-पक्ष लेखापरीक्षा के माध्यम से की जाती है। आवश्यकतानुसार, संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरण वनों के अस्तित्व के आकलन के आधार पर उनका सुधारात्मक रखरखाव करते हैं। देश में वन संसाधनों और वृक्ष आवरण का आकलन भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) द्वारा उपग्रह डेटा और क्षेत्र आधारित जानकारी का उपयोग करके समय-समय पर किया जाता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) में द्विवार्षिक रूप से इसके परिणाम प्रकाशित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने ऑनलाइन निगरानी प्रणाली भी विकसित की है।

(ग): संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में होने वाले भूमि संरक्षण में हरित क्षेत्रों और वन भूमि पर अतिक्रमण की रोकथाम शामिल है। देशभर में अतिक्रमणों का पता लगाना और उन्हें हटाना एक सतत प्रक्रिया है, जिसे संबंधित अधिकारी लागू कानूनों के अनुसार करते हैं, जिनमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, भारतीय वन अधिनियम, 1927 और अन्य प्रासंगिक कानून शामिल हैं। केंद्र सरकार समय-समय पर वनों और हरित क्षेत्रों के संरक्षण के लिए दिशानिर्देश और परामर्शिका जारी करती है।

(घ) से (ड.): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए गए नगर वन योजना जैसे पहलों और अन्य शहरी हरित प्रयासों सहित शहरी हरित क्षेत्रों और वृक्षारोपण के संवर्धन करने वाले विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से जलवायु और लचीलापन और गर्मी के उपशमन का निराकरण किया जाता है। सरकार प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए विनियामक, तकनीकी और पारिस्थितिकी तंत्र आधारित उपायों के माध्यम से बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाती है। गंभीर प्रदूषण की स्थिति में आपातकालीन उपाय लागू किए जाते हैं और ये दीर्घकालिक नीतिगत हस्तक्षेपों के पूरक होते हैं।

(च): देश में शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों सहित वन और वृक्ष आवरण का आकलन समय-सयम पर भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) द्वारा उपग्रह चित्रों और जमीनी सत्यापन के माध्यम से भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) के द्वारा किया जाता है। आईएसएफआर 2023 के अनुसार, देश में समग्र वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि दिखाई देता है। मंत्रालय महानगरों के लिए शहर-वार हरित आवरण का अलग आकलन नहीं रखता है। नगर वन योजना और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र तथा शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए गए अन्य वनीकरण और शहरी हरित प्रयासों जैसे पहलों के माध्यम से शहरी हरित क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाता है।

*****

**अनुलगनक-I**

**'निधि का कम उपयोग' के संबंध में दिनांक 16.03.2026 को उत्तर के लिए श्री सुरेश कुमार शेटकर द्वारा पूछे गए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3872 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

| वित्तीय वर्ष | कुल अनुमोदित क्षेत्र (हेक्टे.) | स्वीकृत कुल लागत (लाख रु. में) | परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए पहली किस्त जारी की गई है | पहली किस्त में जारी की गई धनराशि (लाख रु. में) | परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए दूसरी किस्त जारी की गई है | दूसरी किस्त में जारी की गई धनराशि (लाख रु. में) | जारी की गई कुल धनराशि (लाख रु. में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2020-21** | 325 | 1333.80 | 10 | 933.66 | 0 | 0 | 933.66 |
| **2021-22** | 3816.85 | 15237.35 | 150 | 10693.86 | 1 | 61.59 | 10755.45 |
| **2022-23** | 3522.48 | 12639.10 | 165 | 8847.43 | 0 | 0 | 8847.43 |
| **2023-24** | 3119.52 | 12038.27 | 94 | 8426.80 | 28 | 880.101 | 9306.90 |
| **2024-25** | 4852.38 | 15551.63 | 127 | 10886.14 | 79 | 3054.43 | 13940.57 |
| **2025-26** | 2882.081 | 9815.32 | 81 | 6895.22 | 73 | 2058.196 | 8953.41 |

*****